

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू ।
अपरिहार्य प्रमाण पत्र

अधिशायी अभियन्ता बंजार मण्डल (हि0प्र0लो0नि0वि0) बंजार जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने उनके कार्यालय के पत्र सं0 PW/BD/CB/WA-II/Forest/2021-3902-03 दिनांक 12-07-2021 द्वारा पांचवीर से ढोचा वाया बियों सड़क के निर्माण हेतू फाटी बलागाड़, कोठी शिकारी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू में निजी भूमि खसरा नम्बर 2/2, 4/2, 3/3, 52/2, 69/3, 48/3, 12/2, 15/2, 47/2, 14/2, 13/2, 68/2, 67/2, 66/2, 62/2, 64/2, 62/3 किता 17 कुल रकबा 04-18-19 बीघा को भू-अर्जन अधिनियम, के अर्न्तगत अधिग्रहण हेतू अपरिहार्य प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0), बंजार जिला कुल्लू की रिपोर्ट क्रमांक 963/उ0म0क0 दिनांक 31-08-2021 के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतू प्रस्तावित निजी भूमि के अधिग्रहण से कोई भी व्यक्ति/परिवार भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। प्रस्तावित भूमि में कोई आम रास्ता, पानी का स्रोत, शमशानघाट, कब्रिस्तान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ तथा अन्य सार्वजनिक स्थल आदि नहीं है। हर सम्भव प्रयासों के बावजूद भी इस भूमि का अर्जन नहीं रोका जा सकता है।

अतः उपरोक्त प्रयोजन हेतू फाटी बलागाड़, कोठी शिकारी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू में निजी भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2/2, 4/2, 3/3, 52/2, 69/3, 48/3, 12/2, 15/2, 47/2, 14/2, 13/2, 68/2, 67/2, 66/2, 62/2, 64/2, 62/3 किता 17 कुल रकबा 04-18-19 बीघा भूमि के अर्जन हेतू अपरिहार्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(आशुतोष गर्ग, भा0प्र0से0)

उपायुक्त कुल्लू।

पृष्ठांकन संख्या 1788-89 / डी0आर0ए0

दिनांक: 18-09-2021

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. उप मण्डल अधिकारी (ना0), बंजार जिला कुल्लू को उनके उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- ✓ 2. अधिशायी अभियन्ता बंजार मण्डल (हि0प्र0लो0नि0वि0) बंजार जिला कुल्लू (हि0प्र0) को उनके उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में अपरिहार्य प्रमाण पत्र सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

(आशुतोष गर्ग, भा0प्र0से0)

उपायुक्त कुल्लू।